न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–38/24–25

विकास कुमार दांगी बनाम अवधेश सोनी वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19.07.25	आवेदक विकास कुमार दांगी, पिता–बिगन दांगी, ग्राम–पितिज, थाना–ईटखोरी, जिला–चतरा द्वारा न्यायालय, अंचल अधिकारी, ईटखोरी के विविध वाद संख्या–12/2022–23 (विकाश कुमार दाँगी बनाम अवधेश सोनी वगै0) से संबंधित मामले में दिनांक–06.02.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से समयवाधि क्षांत करने संबंधी आवेदन के साथ अपील वाद दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर वाद WP(C)No.–903/2024 में दिनांक–28.08.2024 को Under Section 15 Of Bihar Tenants Holding (Maintenance of Record) Act के तहत् वैकल्पिक रिमेडी उपलब्ध होने के संदर्भ में आवेदक विकास कुमार दांगी का वाद को निष्पादित किया गया है। तदनुसार यह वाद इस न्यायालय में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु इस न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। इस न्यायालय के विविध वाद संख्या–03/2023–24 को इस वाद का हिस्सा बनाया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित अभिकथन का संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है–** एतवरिया देवी, ग्राम–पितिज, थाना–ईटखोरी, जिला–चतरा के भूमिहीन एवं गरीब महिला थी। खाता संख्या–175, प्लॉट संख्या–2497 खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास भूमि है। एतवरिया देवी के द्वारा खाता संख्या–175, प्लॉट संख्या–2497, रकवा–1.21 एकड़ झाड़ीनुमा भूमि को अपने खर्च पर कृषि योग्य बनाया गया एवं परिवार सहित दखल–कब्जा में आकर कृषि कार्य कर रहे थे, जिसका चौहदी–उतर–सड़क, दक्षिण–नीज, पूरब–जंगल, पश्चिम–नीज है। सरजु साव, बिना किसी अधिकार के एतवरिया देवी के उक्त 1.21 एकड़ भूमि में से 0.42 एकड़ भूमि पर बिना किसी	

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार के दावा किया जाने लगा, तत्पश्चात अपीलार्थी के पूर्वज एतवरिया देवी के द्वारा एस0डी0एम0, चतरा के समक्ष दिनांक–10.10.79 को आवेदन दायर किया गया जो वाद 91/1979/30/1984 (under Section 145 Cr.P.C) के रूप में संधारित होकर एतवरिया देवी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उक्त 0.42 एकड़ भूमि पर एतवरिया देवी का दखल–कब्जा पाकर कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा श्री आर0एन0पी0 प्रसाद के द्वारा एतवरिया देवी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। सरजु साव के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध क्रिमनिल रिवीजन वाद संख्या–242/1984 दायर किया गया। इस वाद में 30.07.1984 को पारित आदेश को रिमाण्ड किया गया। तद्नुसार कार्यपालक दण्डाधिकारी,चतरा द्वारा दिनांक–09.10.1995 को पुनः एतवरिया देवी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए दखल कबजा प्रदान किया गया। दिनांक–09.10.1995 को पारित आदेश के विरूद्ध सरजु साव के द्वारा कोई आपति/अपील दायर नहीं किया गया। उक्त 1.21 एकड़ भूमि जिसमें 0.42 ए0 भूमि समाहित है, पर प्रथम पक्ष के पूर्वज एतवरिया देवी अपने पुत्र बिगन दांगी दखलकार चले आ रहे है। दखल–कब्जा के मद्देनजर सक्षम प्राधिकार द्वारा बंदोबस्ती वाद संख्या–102/1996–97 संधारित कर नक्शा के साथ खाता संख्या–175, प्लॉट संख्या–2497, रकवा–1.21एकड़ भूमि बंदोबस्त किया गया। बंदोबस्ती के आधार पर एतवरिया देवी के नाम से पंजी–2 में जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत सक्षम पदाधिकारी के आदेश से किया गया। एतवरिया देवी की मृत्यु के पष्चात् उनके पुत्र बिगन दांगी, पौत्र–विकास दांगी एवं राजु दांगी उक्त भूमि पर दखलकार है तथा उनके नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है। अवधेश सोनी एवं अन्य के द्वारा बिना किसी अधिकार के खाता संख्या–175, प्लॉट सं0–2497, रकवा–1.21 एकड़ भूमि पर दावा किया जाने लगा। अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा वाद संख्या–12/2022–23 संधारित कर आदित्या सोनार के नाम से निर्गत पर्चा को रद्द करने हेतु दिनांक–15.03.2023 को आदेश पारित करते हुए इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। इस न्यायालय द्वारा विविध वाद सं0–03/2023–24 संधारित कर अंचल अधिकारी, ईटखोरी को रिमाण्ड किया गया। अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा पुनः उसी विविध वाद संख्या–12/2022–23 से संबंधित अभिलेख में

Scanned with OKEN Scanner

आदित्या सोनार के नाम से निर्गत पर्चा को सही मानते हुए एतवरिया देवी के नाम से निर्गत पर्चा सं0–102/1996–97 रकबा–1.21 एकड़ भूमि का जमाबंदी को दिनांक–06.02.2024 पारित आदेश के माध्यम से रद्द किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, ईटखोरी के आदेश दिनांक–06.02.2024 को रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विद्वान मुन्सिफ न्यायालय, चतरा में दायर स्वत्व वाद सं0–149/2024 बिगन दांगी वगै0 बनाम अवधेश सोनी वगैरह से संबंधित वाद लंबित रहने के कारण अपील वाद को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस न्यायालय के विविध वाद संख्या–03/2023–24 में द्वितीय पक्ष के द्वारा बंदोबस्त केस संख्या–42/1982–83 दिनांक–27.12.1983 के आधार पर खाता संख्या–175, प्लॉट संख्या–2497, रकवा–1.40 एकड़, खाता संख्या–173 प्लॉट संख्या–1936, रकवा–2.45 एकड भूमि पर दावा पेस किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, ईटखोरी से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख, इस न्यायालय के अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के आधार पर निम्नांकित मुख्य विचारणीय बिन्दु परिलक्षित होते है–

1. प्रथम पक्ष के पूर्वज एतवरिया देवी को निर्गत बंदोबस्ती पर्चा वाद सं0–102/1996–97 की वैधता ।
2. द्वितीय पक्ष के पूर्वज को निर्गत बंदोबस्त पर्चा वाद संख्या–42/1982–83 की वैधता ।
3. अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा दिनांक–15.03.2023 एवं दिनांक–06.02.2024 को पारित आदेश।

➢ **प्रथम पक्ष के पूर्वज एतवरिया देवी को निर्गत बंदोबस्ती पर्चा वाद सं0–102/1996–97 से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु–**

1. अंचल अधिकारी, ईटखोरी के आदेश दिनांक–15.03.2023 में अंकित है कि–पूर्व में भी वाद संख्या–जी0 आर0 न0–M 91/79/30184 टी0 आर न0–144/86, 280/86, 43/88, 36/90, 60/93, 39/5 में कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा द्वारा एतवरीया देवी का दखल कायम किया गया था, एवं बन्दोबस्ती करवाने के लिए निदेश दिया गया था।
2. एतवरिया देवी का बंदोबस्ती के लिए बंदोबस्ती केश नं0–102/1996–97 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा एवं

Scanned with OKEN Scanner

अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को अनुमोदनार्थ हेतु भेजा गया था, स्वीकृति के पश्चात् अंचल कार्यालय को वापस प्राप्त होने पर उक्त पर्चा के आधार पर जमाबंदी कायम की गई।

3. अंचल अधिकारी, ईटखोरी के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि **अंचल कार्यालय, ईटखोरी के बंदोबस्ती केश पंजी से मिलान किया गया है।** प्रथम पक्ष के पूर्वज एतवरिया देवी के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ सं0–157 वर्तमान भाग सं0–08 पर कायम हुआ था।
4. अंचल अधिकारी, ईटखोरी के द्वारा दिनांक–06.02.2024 को पारित आदेश में इस तथ्य को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। जहाँ तक बंदोबस्त भूमि का अहस्तांतरणीय होने की बात है, तो प्रश्नगत भूमि एतवरिया देवी द्वारा अपने ही वैध उत्तराधिकारी को अंतरण किया गया है। केवाला को रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

➤ **द्वितीय पक्ष के पूर्वज को निर्गत बंदोबस्त पर्चा वाद संख्या–42/1982–83 से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु–**

1. अंचल अधिकारी, ईटखोरी का दिनांक–15.03.2023 को पारित ओदश में अंकित है कि–द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बन्दोबस्ती पर्चा में मात्र अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर है जबकी 1965 के बाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा का अनुमोदन होना आवश्यक है।
2. बन्दोबस्ती केश न0– 42/1982–83 का मिलान के दौरान पाया कि बन्दोबस्ती पंजी वर्ष–1982–83 में मात्र क्रम 01 से 18 तक बन्दोबस्त किया गया है। इस आधार पर द्वितीय पक्ष का बन्दोबस्ती पर्चा फर्जी प्रतीत होता है।
3. अंचल कार्यालय ईटखोरी एवं राजस्व उपनिरीक्षक को गुमराह करते हुए पंजी II के भाग वर्तमान 5 पृष्ट संख्या–8 पर में दर्ज करवा ली गई है। **उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा भी नहीं है।**
4. इस न्यायालय के विविध वाद संख्या–03/2023–24 में अंचल अधिकारी, ईटखोरी को खतियान, रजिस्टर II एवं पर्चा आदि कागजातों का पुनः विस्तृत अवलोकन एवं सत्यापनोपरांत निर्णय लेने हेतु आदेश दिया गया था, परतु अंचल अधिकारी, ईटखोरी के द्वारा दिनांक–06.02.2024 को पारित आदेश में द्वितीय पक्ष के निर्गत पर्चा की सत्यता के संदर्भ में संदेहात्मक बिन्दु पर ध्यान नहीं देते हुए द्वितीय पक्ष का उक्त पर्चा के आधार पर कायम जमाबंदी को उचित माना गया है।

इस वाद के उभय पक्षों के द्वारा किये गये दावा से स्पष्ट है कि खाता संख्या–175, प्लॉट संख्या–2497, रकवा–1.21 (प्रथम पक्ष के एतवरिया देवी के नाम से कायम जमाबंदी के अनुसार रकवा–1.20 ए0) भूमि पर उभय पक्षों के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर दावा किया

जा रहा है। प्रथम पक्ष का बंदोबस्ती पर्चा अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित है तथा द्वितीय पक्ष का बंदोबस्ती पर्चा पर मात्र अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर है, जो राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–147/सं0को0, दिनांक–29.03.2004 के कंडिका–04 में अंकित तथ्य का उल्लंघन है। कंडिका–04 में अंकित है कि–"**विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ गैरमजरूआ मालिक या खास भूमि की बंदोबस्ती करने के निमित्त विभागीय पत्रांक–04/ख0म0–4 नीति 109/71 –2034/रा0, दिनांक–03.05.1971 द्वारा अनुमण्डलाधिकारी को शक्ति प्रदत है।**"

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनाओं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कागजातों तथा अंचल अधिकारी, ईटखोरी का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम पक्ष के पूर्वज एतवरिया देवी के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ सं0–157 वर्तमान भाग सं0–08 पर कायम जमाबंदी को वैध मानते हुए अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा विविध वाद संख्या–12/2022–23 में दिनांक–06.02.2024 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं पंजी II के भाग वर्तमान 5 पृष्ट संख्या–8 पर द्वितीय पक्ष का कायम जमाबंदी को रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी के निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख, आदेश की प्रति के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, ईटखोरी को वापस भेंजे।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by VAIBHAV KUMAR SINGH
Date: 2025.10.15 16:42:20 +05:30
Location: fe80::e048:994b:ec8c:9ad4%15

Scanned with OKEN Scanner